दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थें :

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1 श्री विजय कुमार सिंह
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2 श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सचिव सदस्य, एनसीआर योजना बोर्ड

3 श्री विजेन्दर गुप्ता, विधायक

4 श्री सोमनाथ भारती, विधायक

5 श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, विधायक

6 श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

7 श्री कैलाश सांकला, निगम पार्षद, दक्षिण डीएमसी

सचिव

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशिष्ट आमंत्रिती

1 श्री मनीष कुमार गुप्ता
सदस्य (प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन) दि.वि.प्रा.

2 डॉ. राजीव कुमार तिवारी
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास और उद्‌यान), दि.वि.प्रा.

3 श्री ज्ञानेश भारती
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

4 श्री संजय गोयल
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

5 श्री विकास आनंद
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>उप राज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
उपराज्यपाल की सचिव

2. सुश्री साक्षी मित्तल
उपराज्यपाल की विशेष सचिव

3. श्री अनूप ठाकुर
उप राज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों तथा बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद संख्या 69/2021

दिनांक 13.07.2021 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ. 2(7)2021/एम.सी./डी.डी.ए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 13.07.2021 को आयोजित बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 70/2021

दिनांक 13.07.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
एफ. 2(7)2021/एम.सी./डी.डी.ए./पार्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 13.07.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की कार्रवाई रिपोर्टों (ए.टी.आर.) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की गई:-

<u>श्री विजेन्दर गुप्ता</u>

i) आवासीय सम्पत्तियों को लीजहोल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन किए जाने के आवेदनों की रिपोर्ट से अवगत कराया जाए और उस प्रक्रिया को तेज किया जाए।

दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के ध्यान में लाया कि आवास विभाग ने कन्वर्जन के पुराने लंम्बित मामलों का निपटान करने में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस समय 01.06.2021 से पूर्व का कोई भी कन्वर्जन मामला डीडीए के पार्ट पर लंबित नहीं है। 01.06.2021 से पूर्व ऐसे 882 मामलें थे, जिनमें आवेदकों द्वारा बकायों का भुगतान करने/दस्तावेजों को देय राशि का भुगतान करने/कमियों पूरी करने की सूचना दे दी गई थी और ऐसे आवेदकों की सूची डीडीए की बेवसाइट पर दे दी गयी थी। आवेदकों द्वारा देयताओं/कमियों की सूचना उनकी आवेदन संदर्भ आईडी के

साथ एनएसके पोर्टल पर देखी जा सकती है। कन्वर्जन प्रक्रिया को 01.06.2021 से ऑनलाइन कर दिया गया है और ऑफ लाइन कन्वर्जन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। इसमें अतिरिक्त, इसके मिलते जुलते प्रयास भूमि निपटान विभाग ने भी आरंभ कर दिए हैं और आशा है कि लक्ष्य 30.09.2021 तक हासिल हो जाएगा।

आवास विभाग में कन्वर्जन के लंबित मामलों के निपटान को पूरा करने के लिए प्रशंसा कार्य को आवास, वित्त तथा इंजीनियरिंग विभागों के लिए रिकॉर्ड में रखा गया।

ii) समाप्त हुए पट्टों के नवीनीकरण के लिए कन्वर्जन प्रभारों के संशोधन संबंधी मामले में तेजी लायी जाएं।

iii) रद्द किए गए पट्टों के अनेक मामलों में कन्वर्जन प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है और कन्वर्जन भी अनुमोदित किए गए यद्पि डीडीए ने अभी भी ये पट्टे रद्द किए हुए हैं। अत: ऐसे रद्द किए गए पट्टों की बहाली का भी प्रावधान किया जाए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i) जंगपुरा स्थित दिल्ली जल बोर्ड भी भूमि को शिक्षा निदेशालय के एक स्कूल के लिए अन्तरित किए जाने के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट में पुन: यह उल्लेख किया गया है कि सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के लिए अपेक्षित न्यूनतम एरिया 4000 वर्गमीटर होना चाहिए। हालांकि 13.07.2021 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में यह स्पष्ट रूप से ध्यान में लाया गया है कि 28.05.2014 की अधिसूचना के अनुसार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के लिए प्लाट का क्षेत्र 3200 वर्गमीटर अपेक्षित है चूंकि इस जगह पर एक स्कूल की जरूरत है अत: इस मामले में शीघ्रता की जाए ।

ii) दि.वि.प्रा. की भूमि पर फेथ एकेडमी के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में तत्परता की जाए।

iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों के बावजूद कि न्यायालयी मामलों में छ: माह से अधिक कोई स्थगन आदेश न दिया जाए गौतम नगर में दि.वि.प्रा. की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए दिए गए स्थगन आदेश को अभी तक खारिज नहीं किया गया है।

iv) खसरा नं.277, गांव हौजखास से संबंधित स्थगन आदेश को खारिज कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

v) विकासपुरी में अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि के आबंटन में तेजी लायी जाए अन्यथा इसका फिर से अतिक्रमण हो सकता है।

श्री ओ.पी. शर्मा

i) सभी समाप्त हुए पट्टो के नवीनीकरण की पालिसी में तेजी लाई जाए।

ii) कड़कडडूमा के समीप बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

मद संख्या 71/2021

प्राइवेट माध्यमों के लिए बहुस्तरीय पार्किंग के विकास नियंत्रक मानकों के संदर्भ में दि.मु.यो. 2021 में संशोधन करना।

एफ.प्लानिंग/एमपी/0016/2021/एफ-3/उपनिदेशक (प्लानिंग)एम पी एण्ड डीसी

एमपीएण्डसी का कार्यालय

इस एजेंडा मद में दिया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 72/2021

सीएनजी स्टेशन साइट के आबंटन के लिए नीति।

एफ. एलडी/सीएल/0018/2021/सीएनजी/एफ13 वाणिज्यिक भूमि

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने पारदर्शिता के स्तंभो की नीति के औचित्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा दक्षता के बारे में जानकारी दी। श्री ओ पी शर्मा ने इच्छा व्यक्त भी की आईजीएल को सीधे ही प्लॉट का आबंटन दिया जाना चाहिए। माननीय उप राज्यपाल महोदय ने टिप्पणी कि इस नीति के बारे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राय ले ली जाए। तदनानुसार, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एजेण्डा का अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या 73/2021

इलेक्ट्रिक सब स्टेशन लगाने के लिए पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों (डिस्कॉम्स) को सीधे ही भूमि आबंटन करने के लिए एजेण्डा।

एफ. 29(पालिसी)/2021/आई.एल.

यह एजेडा मद आस्थगित कर दी गई। इस प्रस्ताव को ऊर्जा विभाग, जीएनसीटीडी के साथ चर्चा करने के बाद पुन: प्रस्तुत किया जाए।

<u>मद संख्या 74/2021</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी ऑफ इडिया) द्वारा प्रमाणन्न के बाद, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दि.वि.प्रा. के वार्षिक लेखा को अपनाया जाना।

एफ.6(3)2020-21/ए/सीएम(एम) एन्युअल अकाउंट 2019-20/डीडीए

यह एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया और प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दि.वि.प्रा. के वार्षिक लेखा को स्वीकार किया/अपनाया गया। श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि हालांकि प्राधिकरण की पिछली बैठकों में इस मद पर विचार विमर्श हो चुका था कि दि.वि.प्रा. द्वारा डबल एंट्री सिस्टम अभी भी शुरू नहीं किया गया है। अत: समय सीमा निर्धारित की जाए कि कब तक डबल एंट्री सिस्टम की शुरूआत कर दी जाएगी और इसे शुरू करने की सूचना दी जाए।

<u>मद संख्या 75/2021</u>

एल एंड डी ओ द्वारा राज्य सभा सचिवालय को सेक्टर XIII आर के पुरम, नई दिल्ली में आबंटित की गई 8700 वर्गमीटर की साइट को दि.मु.यो. 2021 के उप-खंड 8(2) के अंतर्गत अतिथि गृह (पीएसपी उपयोग) से आवासीय प्लॉट ग्रुप हाउसिंग (आवासीय उपयोग) परिसर के उपयोग में बदलने के संबंध में।

एफ प्लानिंग/एमपी/0059/2021-एफ-3/एडी/प्लानिंग जोन.एफ(पार्ट.)एपी-I

इस एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

<u>प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'</u>

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i. मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव, जी एन सी टी डी को प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेना चाहिए जैसा कि पहले भी ये अधिकारी बैठक में भाग लेते रहे हैं। क्योंकि जी एन सी टी डी के विभिन्न विभागो से जुडें अनेक मुद्दों पर इन बैठकों में विचार विमर्श किए जाते है।

ii. पी-एम उदय सर्वेक्षण के दौरान इस आधार पर कि परिसर बन्द पड़ा है या फिर किसी अन्य प्रयोजन से प्रयोग में लाया जा रहा है, अनेक मामलों में आवासीय सम्पतियों के जिस प्राधिकार पर्चियां जारी नहीं की जाती है। इस मुद्दे को स्पष्ट किय़ा जाए और राजपत्र अधिसूचना में दिए गएप्रावधानों के अनुसार कन्वेंस डीड या प्राधिकार पर्ची, जैसा भी मामला हो, केवल आवासीय प्रयोजन के लिए अवश्य जारी की जाए भले ही वर्तमान में सम्पति किसी भी रुप में उपयोग में आ रहीं हो।

श्री सोमनाथ भारती

i. देवली विधानसभा निर्वाचिन क्षेत्र के 'जे' जोन में 100 मीटर की एक सड़क के लिए दि.मु.यो.-2041 में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से, आयानगर, छत्तरपुर में सड़कों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इन सड़कों के प्रावधान हो जाने के कारण इन आवासीय कॉलोनियों के निवासी पीएम-उदय योजना के अंतर्गत, पंजीकरण के योग्य नहीं है।
ii. मॉडल, टाऊन तथा विकासपुरी सहित विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य संस्थानों हेतु भूमि आवंटित करने के मामलों, जिनके बारे में उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के ध्यान में पहले ही लाया जा चुका है, को प्राथमिकता आधार पर सुलझाया जाए।
iii. तुगलकाबाद स्थित तेखण्ड गांव के समीप बूस्टर-पंप स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाए।
iv. नारायणा गांव में नारायणा विहार तक में रहने वाले वाल्मिकी समाज के निवासियों के लिए ब्लॉक किए गए रास्ते का ब्लॉकेज हटाया जाए।
v. ओल्ड राजेन्द्र नगर, न्यू राजेन्द्र नगर तथा पाण्डव नगर में निवासियों के लिए क्लब के लिए भू-खण्ड आबंटित किया जाए।
vi. दशधारा तथा टोडापुर गांव में सामुदायिक केन्द्र तथा शवदाह गृह का निर्माण किया जाए।
vii. टोडापुर गांव में रामलीला गांव का सौन्दर्यकरण।
viii. जीडीए की नीति कार्यान्वित की जाए।
ix. गौतम नगर पार्क में भूमिगत पार्किंग का विकास किया जाए।

श्री ओ पी शर्मा

i. वे डीडीए पार्क, जो कि नगर निगम को सौंप दिये गये थे, उन्हें नगर निगम से वापिस ले लिया जाए क्योंकि निगम इनके रखरखाव में सक्षम नहीं है। श्री विजेन्द्र गुप्ता ने भी इस सुझाव से सहमति जताई है।
ii. यमुना स्पोटर्स सोसाइटी के सदस्यों को परिसर में घूमने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
iii. विश्वास नगर तथा शान्तिस्वरूप भटनागर मार्ग पर 60 फुट मार्गाधिकार से अतिक्रमण को हटाये जाने संबंधी मामले में तेजी लाई जाए।

श्री कैलाश सांकला

i. नजफगढ़ के भूमि स्वामियों को जिनकी भूमि अधिकृत कर ली गई है, उन्हें नरेला, रोहिणी तथा वबाना में वैकल्पिक जगह दी गई है। इसके वाबजूद उन्हें नजफगढ़ तथा द्वारिका क्षेत्र में भूमि आबंटित की जाए।
ii. स्कूलों तथा सामाजिक सास्कृतिक संस्थानों को अतिरिक्त एफएआर दिया जाए, क्योंकि ऐसा होटलों के लिए किया गया है।
iii. अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 तथा सीपीसीवी में दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षिणी, डीएमसी तथा उत्तरी डीएमसी के लिए कूड़ा बीनने वालों द्वारा ढ़लानों से कूड़ाकरकट से प्लास्टिक को अलग करने के लिए पीबीसी बाजार, टिकरी कलां में भूमि आबंटित की जाए।
iv. 20 प्वांइट कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय और कृषि उद्देश्य हेतु भूमि आबंटित किए गए व्यक्तियों को संपत्ति अधिकार प्रदान किया जाएं।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया ।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ ।